कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अंतर्निहित डेटा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण प्रोफ़ाइल और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार की विनियोजन और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादनन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1: विहंगावलोकन

राजस्व घाटे के उत्तरोतर उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए

सितंबर 2020 में अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत (राज्य सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक) के अतिरिक्त दो प्रतिशत का अतिरिक्त राजकोषीय घाटा अनुमेय था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजस्व घाटा जो 2019-20 के दौरान ₹ 16,990 करोड़ था बढ़कर 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 15,374 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजकोषीय घाटा जो 2019-20 में ₹ 30,518 करोड़ था, 2020-21 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹ 29,486 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति में चार प्रतिशत और बजट प्रक्षेपणों में 2.73 प्रतिशत के नियत लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.86 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 1.5]

पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 1,166.89 करोड़ कम दर्शाया गया।

[अनुच्छेद 1.6.1]

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम से राज्य लेखों में लिए गए बकाया ऋणों का विवरण न होने के कारण राजकोषीय देयताओं को ₹ 406 करोड़ से कम बताया गया।

[अनुच्छेद 1.6.2]

अध्याय 2: राज्य के वित्त

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2016-17 में 10.39 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 2.99 प्रतिशत हो गई और 2020-21 में 0.44 प्रतिशत ऋणात्मक हो गई। राज्य के स्वयं के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 2.69 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

[अनुच्छेद 2.3.2.1]

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में छः प्रतिशत बढ़कर ₹ 89,946 करोड़ हो गया और कुल व्यय का 93 प्रतिशत था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों से समायुक्त प्रतिबद्ध व्यय ने कुल राजस्व व्यय का 55 प्रतिशत संघटित किया। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय ₹ 7,650 करोड़ था, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ₹ 5,565 करोड़ (72.75 प्रतिशत) की सब्सिडी सहित राजस्व प्राप्तियों का 11.32 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 2.4.2]

पूंजीगत व्यय ₹ 5,870 करोड़ था, जो गत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल व्यय के 17 प्रतिशत से घटकर छः प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण आर्थिक सेवाओं में कम व्यय था।

[अनुच्छेद 2.4.3]

31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,566.55 करोड़ निवेशित थे। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.188 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2016-21 के दौरान अपने उधारों पर 7.94 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, पूंजी अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध रह गई और वांछित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

[अनुच्छेद 2.4.3.2]

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड तथा बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध ₹ 3,418.72 करोड़ का ऋण बकाया था। आगे, इन चीनी मिलों को कुल ₹ 467.40 करोड़ के ऋण दिए गए थे। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 92 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.20 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त किया।

[अनुच्छेद 2.4.3.2(v)]

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राज्य पूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,230.50 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

[अनुच्छेद 2.5.2.2, 2.5.2.4 एवं 2.5.2.5]

लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित समग्र राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.21 प्रतिशत थीं (वस्तु एवं सेवाकर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने ₹ 49,340 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया और ₹ 29,167 करोड़ का चुकाया। 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 15,444 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जो कि 2016-17 में 26.07 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 31.21 प्रतिशत हो गई। 2020-21 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 3.53 गुणा और राज्य के स्वयं के संसाधनों का 4.88 गुणा थीं। राज्य सरकार को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ प्राप्त हुए।

[अनुच्छेद 2.6.1]

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

2020-21 के दौरान, ₹ 1,80,004.84 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 1,42,409.10 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37,595.74 करोड़ की समग्र बचत थीं। इसमें से 44 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए, ₹ 36,450.08 करोड़ की बचत की गई। वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ और 2019-20 से संबंधित ₹ 153.39 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 21.93 करोड़ के अधिक व्यय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुच्छेद 3.3.2(i), 3.3.3 एवं 3.4.1]

2016-21 के दौरान 24 अनुदानों और एक विनियोजन में निरंतर बचत दर्ज की गई। 22 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 22 अनुदानों के अंतर्गत 31 प्रमुख शीर्षों में 37 प्रतिशत व्यय मार्च 2021 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था।

[अनुच्छेद 3.3.1, 3.3.2(ii) एवं 3.4.3]

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत एकत्रित उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रबंधन बोर्ड/हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड/हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, अन्य निधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

[अनुच्छेद 4.1]

31 अगस्त 2021 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 14,550.78 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 2,442 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 97 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 199 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2021 तक बकाया थे।

[अनुच्छेद 4.6 एवं 4.15]

2020-21 के दौरान, ₹ 7,964.58 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 8.31 प्रतिशत) वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से लेखाकृत करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

[अनुच्छेद 4.9]

राज्य ने भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

[अनुच्छेद 4.13]

राज्य सरकार ने ₹ 1.32 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्विनियोजन, दुरुपयोग, इत्यादि के 63 मामले सूचित किए जिन पर जून 2021 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इनमें से 30 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

[अनुच्छेद 4.18]

अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा.सा.क्षे.उ.) के नवीनतम निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 53,999.42 करोड़ के कुल निवेश का 87.13 प्रतिशत (₹ 47,051.41 करोड़) प्राप्त हुआ था।

[अनुच्छेद 5.4.1]

2019-20 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विरूद्ध 2020-21 के दौरान 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 2019-20 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 975.78 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,698.89 करोड़ हो गया। 2019-20 में लाभ अर्जित करने वाले 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में 9.18 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) बढ़कर 36.97 प्रतिशत हो गया। उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2020-21 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए इक्विटी पर रिटर्न 10.20 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 5.5.1]

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2020-21 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 425.71 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 357.50 करोड़ की हानि (83.98 प्रतिशत) के लिए दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं। दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 195.83 करोड़) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 161.67 करोड़) वित्तीय वर्ष 2020-21 के अपने नवीनतम अंतिम परिणामों के अनुसार घाटे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

[अनुच्छेद 5.7.1]

31 मार्च 2021 तक, 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,668.85 करोड़ थी। इनमें से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) को ₹ 28,341.22 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

[अनुच्छेद 5.7.2]

केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 नवंबर 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 24 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से चार वर्ष की अवधि से बकाया थे।

[अनुच्छेद 5.11.2]